



Court Case No - 394/23.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फाइल. सं. NCST/DEV-316/MP/12/2022-ESDW

श्री के. सी. झांवर,
प्रबंध निदेशक,
अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड,
'बी' विंग, द्वितीयतल,
अहुरा सेंटर महाकाली केव्स रोड,
अंधेरी(पूर्व), मुंबई-400 093
ई-मेल : kailash.jhanwar@adityabirla.com

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक 10.04.2023 को 11:30 बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

सन्दर्भ 1: अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (धार सीमेंट वर्क्स टोंकी मनावर) की गतिविधियों से अनुसूचित जनजातियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से सम्बंधित शिकायतों के संबंध में।

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 22.03.2022.

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.05.2022.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 27, मार्च, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003